

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या-2/राज. स्था. शक्ति प्रदत्त-03/2017.....(02)/रा., दिनांक-.....

उपायुक्त, गुमला के पत्रांक-75/जि.भू.अ., दिनांक-28.03.2019 के आलोक में सुश्री सुषमा नीलम सोरेंग, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, गुमला को उनके कार्यों के अतिरिक्त जिला-भू-अर्जन पदाधिकारी, गुमला के रूप में कार्य करने हेतु भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ("The Right to fair compensation and transparency in land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act-2013") की धारा 3(g) के तहत समाहर्ता की शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

शक्ति प्रदत्त पदाधिकारी जिला के समाहर्ता तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निदेशों के आलोक में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

उनके वर्तमान पदस्थापन अवधि तक के लिए शक्ति प्रदत्त करते हैं।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(राम कुमार सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-2/राज. स्था. शक्ति प्रदत्त-03/2017...1600.....(02)/रा., दिनांक-...02-05-19

प्रतिलिपि: ✓ नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

2-5-19